कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांकःशिविरा / माध्य / लेखा / डी–2 / 28001 / 2021–22 / दिनांकः 22-09-21

संयुक्त निदेशक,
स्कूल शिक्षा,
जयपुर / जोधपुर / कोटा / चूरू / अजमेर
बीकानेर / उदयपुर / भरतपुर / पाली

विषयः– बेशी / अप्रचलित / अनुपयोगी सामान ई आक्शन द्वारा निस्तारण।
प्रसंगः– पत्रांक क्रमांकःप.6(1)वित्त / साविलेनि / 2005पार्ट–1 दिनांकः02.08.2021

उपुर्यक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा माध्यमक शिक्षा विभाग में बेशी / अप्रचलित / अनुपयोगी सामान ई आक्शन द्वारा निस्तारण के लिए पायलट आधार पर चयन किया गया है, प्रति संलग्न। आप अपने कार्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों के बेशी / अप्रचलित / अनुपयोगी सामान ई आक्शन द्वारा निस्तारण की कार्यवाही करने का श्रम करें ।

संलग्न- उपरोक्तानुसार

वित्तीय सलाहकार,
माध्यमिक शिक्षा,राज0
बीकानेर

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

मा. शिक्षा/निजी/Govt./694
दिनांक 10 AUG 2021

राजस्थान सरकार
वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग

क्रमांक प. 6(1)वित्त/साविलेनि/2005 पार्ट जयपुर दिनांक: 02/08/2021

AO - लेखा D-2
06-08-2021

निदेशक,माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर,
निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य,जयपुर,
मुख्य अभियन्ता, PHED, जयपुर।

विषय :– राजकीय कार्यालयों में उपलब्ध अप्रचलित/अनुपयोगी सामान का ई–ऑक्शन द्वारा निस्तारण के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपका ध्यान सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग– II के नियम 16–27 की ओर आकृष्ट कर लेख है कि इन नियमों में राजकीय कार्यालयों में उपलब्ध अप्रचलित/अनुपयोगी सामान (Stores) के निस्तारण के प्रावधान उपलब्ध है तथा साविलेनि भाग–I के नियम (XXXIV) में ई–ऑक्शन का प्रावधान है।

राजकीय कार्यालयों में उपलब्ध अनुपयोगी सामग्री का 'स्वच्छ कार्यालय' के लिए त्वरित निस्तारण किया जाना आवश्यक है। ई–ऑक्शन हेतु प्लेटफार्म **'eaution.gov.in'** बना हुआ है जिसका उपयोग राज्य के विभागों द्वारा ई–ऑक्शन हेतु किया जा सकता है। यह निर्णय लिया गया है कि प्रारम्भ में पायलट आधार पर आपके विभाग का अप्रचलित/अनुपयोगी सामान का निस्तारण ई–ऑक्शन द्वारा किया जावें।

अतः निर्देशानुसार लेख है कि आपके कार्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों में उपलब्ध अनुपयोगी/अप्रचलित सामग्री का त्वरित निस्तारण ई–ऑक्शन द्वारा किया जावें। ई–ऑक्शन वेबसाइट के संबंध में यदि तकनीकी मार्गदर्शन अपेक्षित समझा जाता हैं तो निम्न अधिकारी से सम्पर्क किए जाने का परामर्श दिया जाता है :–

श्री चंचल कुमार, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी.
Email address : c.kumar@nic.in
दूरभाष नम्बर :– 9829570672

कृपया इसको प्राथमिकता प्रदान करें।

(विमल कुमार गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक अग्रिम कार्रवाई हेतु :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग।
2. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. जयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर।
4. वित्तीय सलाहकार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED), जयपुर।

मुख्य लेखाधिकारी